

[2024] 9 S.C.R. 86 : 2024 INSC 666

मंदाकिनी दीवान व एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय व अन्य

(दाण्डिक अपील सं. 3738/ 2024)

06 सितंबर, 2024

[विक्रम नाथ और प्रसन्न भालचंद्र वराले, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादयक

मामला वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध मौत के संबंध में अन्वेषण से संबंधित है।

शीर्ष टिप्पण

भारत का संविधान- अनुच्छेद- 226, 136 - स्वतंत्र अभिकरण (एजेंसी) द्वारा अन्वेषण- वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की पत्नी की मृत्यु- अपीलार्थियों- मृतका की माँ और भाई का प्रकरण यह है कि मृत्यु संदिग्ध थी और साधारण आत्महत्या का प्रकरण नहीं था, और आशंका जताई कि पति एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के नाते पोस्टमार्टम का प्रबंधन किया था जिसमें मौत का कारण फांसी से आत्महत्या दर्शाया गया था- अपीलार्थियों द्वारा कई शिकायतें- न तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई और न ही निष्पक्ष अन्वेषण किया गया- अपीलार्थियों द्वारा रिट याचिका, सात वर्ष तक लंबित रही, और उसके बाद यह मानते हुए खारिज कर दी गई कि अपीलार्थियों के पास 156(3) द.प्र.सं. के तहत पर्याप्त वैधानिक उपाय उपलब्ध थे- जिसे चुनौती दी गई।

अभिनिर्धारित : सी. बी. आई. को अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना है तथा इस तरह के आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किए जाने चाहिए - तथ्यों पर, व्यथित पक्ष ने पक्षपात और राज्य के पुलिस तन्त्र पर अनुचित प्रभाव होने के आरोप लगाए - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पति एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी है, सी. बी. आई. द्वारा अन्वेषण कराकर अपीलार्थियों जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, के मन में किसी भी संदेह को दूर किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पूर्ण न्याय हो सकता है और निष्पक्ष अन्वेषण प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है- सी. बी. आई. को घटना की पूर्ण और निष्पक्ष अन्वेषण करने तथा विधि के अनुसार आगे बढ़ने और इस न्यायालय के समक्ष

एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और वह भी जल्दी क्योंकि घटना 2016 की है - यदि सी. बी. आई. को लगता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, तो वह स्वयं ही ऐसा कर, आगे की कार्यवाही कर ऐसी शिकायत को एक युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुँचा सकता है- यद्यपि यदि सी. बी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वह ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सकी जो सामान्य क्रम में आरोप- पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त हो, तो वह कार्यवाही समाप्त कर दे। [कण्डिका 12, 14, 15]

उद्धृत किया गया निर्णय विधि

अवुंगशी चिरमायो बनाम दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस.सी. 1452- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

स्वतंत्र अभिकरण (एजेंसी) द्वारा अन्वेषण, आत्महत्या; शव परीक्षण (पोस्टमार्टम); निष्पक्ष अन्वेषण; वैधानिक उपाय; अन्वेषण करने हेतु सी. बी. आई. को निर्देशित करना देना।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील सं. 3738/2024

रिट याचिका (दाण्डिक) सं. 197/2016 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.2023 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

दिनेश जोतवानी, धावेश पाहुजा, भार्गव बायसोया, सुश्री एकता गंभीर, सुश्री श्रुति सिंह, सुश्री शिवालिका मिधा, नरेंद्र बहादुर तिवारी, नीलेश शर्मा, साकेत गोगिया, अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल; श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; अवधेश कुमार सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता; सुश्री अंजना प्रकाश, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता; प्रशांत सिंह, रजत नायर, श्रीमती प्रेरणा धल्ल, पीयूष यादव, सुश्री आकांक्षा सिंह, आलोक सहाय, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, सुश्री अंबली वेदसेन, शुभम सिंह, सुश्री रचना रंजन, सुश्री सरिता कुमारी, रितेश कुमार गुसा, टी. वी. सुरेंद्रनाथ, अतुल अरविंद, सुदीप पात्रा, सुश्री कमलिका समद्वर, अरविंद कुमार तोमर, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री शगुन

ठाकुर, सुश्री रुचि गौर नरूला, संतोष कुमार, धनंजय महापात्रा, अपूर्व कुरुप, सुश्री निधि मित्तल, सुश्री गौरी गोवर्धन, सुश्री आंचल, अखिल हसीजा, गुर्जर सिंह नरूला, उत्तरवादियों की ओर से अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील रिट याचिका (दाण्डिक) सं. 197/2016 मंदाकिनी दीवान व अन्न बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय व सात अन्य, में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 10.05.2023 आदेश की शुद्धता पर प्रश्न करती है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं (यहां अपीलार्थियों) को उचित संस्था के समक्ष उचित उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।
3. तथ्यों का उल्लेख करने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम पक्षों द्वारा दिए गए विस्तृत तथ्यों और प्रस्तुतियों में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रस्तुतियों और विस्तृत तथ्यों पर हमारे द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन के परिणामस्वरूप एक निष्पक्ष अन्वेषण को प्रभावित किया जा सकता है जिसे हम वर्तमान प्रकरण में एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किए जाने का निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं।
4. वर्तमान अपील के कारक तथ्य इस प्रकार हैं :

4.1. उत्तरवादी सं. 7 ने वर्ष 2012 में जारी विज्ञापन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च न्यायपालिक सेवाओं में आवेदन किया था जिसके तारतम्य में उसका चयन किया हुआ था तथा जून 2013 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गीदम दंतेवाड़ा, के रूप में नियुक्ति हुई थी। उत्तरवादी सं. 7 ने 15.02.2014 को मृतका से विवाह किया। यद्यपि वे एक-दूसरे को 2010 से जानते थे। मृतका सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। सुसंगत समय में वे दंतेवाड़ा में तैनात थे।

4.2. 12.05.2016 को, रात्रि लगभग 10:30 बजे अपीलार्थी, जो मृतका की माता और

भाई हैं, को एक फोन आया कि सुश्री रंजना दीवान ने आत्महत्या कर ली है। वे तुरंत बिलासपुर से दंतेवाड़ा पहुंचे और यह पता लगाने का प्रयास कि क्या हुआ था। अपीलार्थियों के अनुसार उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी।

4.3. अपीलार्थियों का प्रकरण यह है कि सुश्री रंजना दीवान की मृत्यु में कुछ गड़बड़ थी और यह साधारण आत्महत्या का प्रकरण नहीं था। यह उनकी आशंका भी थी कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के नाते पर्याप्त प्रभाव रखने वाले उत्तरवादी सं. 7 ने शव परीक्षण (पोस्टमॉर्टम) का प्रबंधन किया था जिसमें मौत का कारण फांसी से आत्महत्या दर्शाया गया था।

4.4. शव परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) ने आगे इंगित किया कि मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की छह चोटें थीं। आत्महत्या की जानकारी दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन को दी गई थी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973¹ की धारा 174 के तहत एक मर्ग दर्ज किया गया था। 13.05.2016 को, पुलिस ने बरामदगी की, जिसकी प्रति अनुलग्नक-पी/2 के रूप में प्रस्तुत है। शव परीक्षण 13.05.2016 को 06:30 बजे किया गया था। मौत का कारण फांसी के कारण श्वासावरोध (एक्सपिसिया) बताया गया। इसके अलावा, मृत्यु पूर्व की छह चोटें प्रतिवेदित की गई थी जो इस प्रकार हैं:

“चोट:

- 1) दाहिने हाथ के पीछे एक कुचलन (कंट्यूजन) मौजूद है ~ 3.5 सेमी x 3 सेमी नीला।
- 2) प्रोक्सिमल फालेंक्स पामर पहलू के ऊपर बाईं अनामिका उंगली पर मौजूद एक कुचलन (कंट्यूजन), ~ 1.5 सेमी x 1 सेमी, नीला।
- 3) दाहिने पैर पर घुटने से 3 से. मी. नीचे 4 से. मी. x 3.5 से. मी. की नीले रंग की चोट।
- 4) बाएँ पैर के पृष्ठ पहलू पर मौजूद एक कुचलन (कंट्यूजन)
~ 1.5 सेंटीमीटर x 1.5 सेंटीमीटर, नीला।
- 5) बाईं जांघ पर कमर के ~ 17 से. मी. नीचे ~ 4 से. मी. x 4.3 से. मी. नीला रंग का एक कुचलन (कंट्यूजन)।

- 6) लिगेचर मार्क: थाइरॉइड के स्तर से ऊपर गर्दन पर मौजूद कठोर बंधन चिह्न जैसे भूरे रंग का चर्मपत्र उपास्थि, तिरछी तरह से ठोड़ी की ओर, पीछे से ऊपर की ओर फैली हुई, स्थानों पर खांची हुई। अधिकतम चौड़ाई पीठ पर 4.5 सेंटीमीटर। जगह-जगह निशानों में त्वचा का छिलना दिखाई दे रहा है। निशान ठोड़ी की नोक से डेढ़ सेंटीमीटर नीचे, बाएं मास्टॉइड की नोक से 5.5 सेंटीमीटर नीचे और दाएं मास्टॉइड की नोक से 4 सेंटीमीटर नीचे, ओक्सिपिट से 10 सेंटीमीटर नीचे स्थित है। निशान दाहिनी ओर ~ 3 सेमी पर हल्का है। विच्छेदन पर त्वचा की सतह के नीचे चमकीला सफेद है। हाइड्र हड्डी और थायराइड उपास्थि अक्षुण्ण हैं। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की हैं और मृत्यु के 06 घंटे के भीतर की हैं। चोट की सं. 6 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक पैर की दूसरी अंगुली में धातु के वलय।"

4.5. अपीलार्थियों के अनुसार, पुलिस ने इसे आत्महत्या का प्रकरण मानते हुए खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष अन्वेषण किए जाने हेतु अधिकारियों के समक्ष बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थियों द्वारा अधिकारियों को किए गए समस्त शिकायतों के परिणामस्वरूप भी उत्तरवादी सं.7 के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं हुआ। यद्यपि सभी शिकायतों में जाँच की गई परन्तु उत्तरवादी सं. 7 द्वारा लगाए गए प्रभाव के कारण अंततः उनका खात्मा कर दिया गया। अपीलार्थियों द्वारा की गई कई शिकायतों पर आज तक न तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई है और न ही सत्य का पता लगाने के लिए निष्पक्ष अन्वेषण किया गया है।

4.6. कोई विकल्प नहीं होने के कारण, अपीलार्थियों ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करते हुए रिट याचिका दाण्डिक सं. 197/2016 के रूप में पंजीकृत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की :

" 10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय परमादेश (मैंडमस), उत्प्रेषण

(सर्टियोररी) की प्रकृति में एक रिट अथवा इसी तरह कि कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी कर उत्तरवादियों को इस प्रकरण के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश देने की कृपा करे।

- 10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय परमादेश (मैंडमस), उत्प्रेषण (सर्टियोररी) की प्रकृति में एक रिट अथवा इसी तरह कि कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी कर उत्तरवादी सं. 8 को एक पृथक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने अथवा पुलिस स्टेशन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा मार्ग सं. 24/16 में अन्वेषण करने तथा उचित अन्वेषण के बाद रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।
- 10.3 यह कि, यह माननीय न्यायालय परमादेश (मैंडमस), उत्प्रेषण (सर्टियोररी) की प्रकृति में एक रिट अथवा इसी तरह कि कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी कर उत्तरवादी सं. 2 से 6 को उत्तरवादी संख्या 7, मानवेंद्र सिंह की पत्नी, मृतका रंजना दीवान की मृत्यु के प्रकरण से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्रकरण की न्यायसंगत और उचित अन्वेषण के लिए सौंपने का निर्देश देने की कृपा करे।
- 10.4 यह कि, यह माननीय न्यायालय परमादेश (मैंडमस), उत्प्रेषण (सर्टियोररी) की प्रकृति में एक रिट अथवा इसी तरह कि कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी कर उत्तरवादी संख्या 7 को प्रकरण के अंतिम निर्णय तक नौकरी से बाहर रखने हेतु उत्तरवादी सं. 1 को आदेश देने और निर्देश देने की कृपा करे ताकि उत्तरवादी सं. 7 द्वारा अन्वेषण को प्रभावित न कर सके।
- 10.5 कोई अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझे, भी प्रदान किए जाने की कृपा हो।"

4.7. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, उत्तरवादी सं. 1 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, उत्तरवादी सं. 2 सचिव, गृह विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तरवादी सं. 3 पुलिस महानिदेशक है, उत्तरवादी सं. 4 पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक हैं, उत्तरवादी सं. 5 दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हैं, उत्तरवादी सं. 6 पुलिस थाना गीदम, जिला दंतेवाड़ा का थाना प्रभारी है, उत्तरवादी सं. 7. मृतका का पति है और उत्तरवादी सं. 8 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) है।

4.8. उक्त याचिका लगभग सात वर्ष तक लंबित रही। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के अनुसार अपीलार्थियों के पास संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क कर द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत पर्याप्त वैधानिक उपाय उपलब्ध था।

5. अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क यह हैं कि यह सच है कि अपीलार्थी के पास धारा 156 (3) द.प्र.सं. के तहत शिकायत दर्ज करने का उपाय था, परन्तु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्तरवादी सं. 7 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं और पहले ही यह सुनिश्चित करने में प्रशासन पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर चुका है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज न की जाए तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष अन्वेषण न की जाए, उन्हें मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, जो उत्तरवादी सं.7 का एक अधीनस्थ अधिकारी होता। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

6. अपीलार्थी सं.1 की पुत्री तथा अपीलार्थी सं.2 की बहन की मृत्यु कारित करने के संदिग्ध परिस्थितियों के होते हुए, विशेषकर मृत्यु पूर्व की छः चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के बावजूद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं किए जाने हेतु प्रशासन को प्रभावित करने में उत्तरवादी सं. 7 के अत्याचार को दर्शाने हेतु अपीलार्थियों द्वारा हमारे समक्ष विस्तार में तर्क किए गए हैं। अतः यह निवेदन किया गया कि यह न्यायालय मामले का अन्वेषण करने हेतु किसी स्वतन्त्र अभिकरण को निर्देशित करे।

7. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक विस्तृत जांच की गई थी तथा 50 से अधिक साक्षियों के कथन दर्ज किए गए थे; अपीलार्थी द्वारा दायर प्रत्येक शिकायत की उच्चतम स्तर पर जांच हुई थी परन्तु जब उत्तरवादी सं. 7 के विरुद्ध कोई

साक्ष्य नहीं मिल सका, शिकायतें समाप्त कर दी गईं। यह भी उनका तर्क है कि अपीलार्थी अनावश्यक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के अन्वेषण अभिकरण (जांच एजेंसी) की विश्वसनीयता पर संदेह कर रहे हैं तथा यह न केवल उत्तरवादी सं. 7 बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण पुलिस तंत्र पर दोषारोपण।

8. विद्वान अधिवक्ता ने इस विवरण का भी उल्लेख किया कि शिकायतों से कैसे निपटा गया है। इस प्रकार यह निवेदन किया गया कि अपील को खारिज कर दिया जाए और अपीलार्थियों को धारा 156 (3) द.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाए।

9. उत्तरवादी सं. 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की भी उसी तरह की दलीलें थीं जो छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से की गई थीं। इसके अलावा, यह निवेदन किया गया कि उत्तरवादी सं. 7 अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाला न्यायिक अधिकारी होने के नाते अपीलार्थियों द्वारा गलत उद्देश्यों के लिए अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। एक बहुत ही गहन और निष्पक्ष जांच की गई जिसमें उत्तरवादी की कोई संलिप्तता नहीं पाया जा सका।

10. आगे यह निवेदन किया गया कि किए गए सभी पूछताछों में, उत्तरवादी सं. 7 के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री एकत्र नहीं की जा सकी और इस तरह शिकायतों को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया। रिट याचिका और वर्तमान अपील दायर कर अपीलार्थियों का एकमात्र प्रयास किसी न किसी तरह न केवल उत्तरवादी सं. 7 की छवि को धूमिल करना है बल्कि अनावश्यक उत्पीड़न कारित करना तथा उसकी सेवा को खतरे में डालना है। इसके अलावा, वर्तमान प्रकरण में जांच के लिए सी. बी. आई. को नियुक्त करने का निर्देश भी आवश्यक नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

11. सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, का निवेदन है कि न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा, उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि न्यायालय एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल की नियुक्ति पर विचार कर सकता है या वैकल्पिक रूप से सी. बी. आई. को मामले की जाँच करने का निर्देश दे सकता है क्योंकि यह न केवल पीड़ित पक्ष में परन्तु बड़े पैमाने पर समाज में भी विश्वसनीयता और विश्वास पैदा करेगा।

12. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्तरवादी सं. 7 एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी है, जिन अपीलार्थियों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, उनके मन के किसी भी संदेह या

आशंका को सी. बी. आई. द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पूर्ण न्याय हो सकता है तथा निष्पक्ष अन्वेषण प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है।

13. अवुंगशी चिरमायो बनाम दिल्ली के एन. सी. टी. की सरकार² के प्रकरण में इस न्यायालय ने अनिर्णायक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित कुछ उलझन भरे तथ्यों के कारण दो चचेरे भाइयों की हत्या से संबंधित दाण्डिक मामले में सी. बी. आई. को जांच करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

"13. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार की संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल (2010) 3 एस. सी. सी. 571 के रूप में प्रतिवेदित एक मौलिक निर्णय में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उन परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की है जिनके तहत संवैधानिक न्यायालयों को सी. बी. आई. जांच का निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि अन्वेषण अंतरण की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, यद्यपि, इसका प्रयोग पूर्ण न्याय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। न्यायालय ने कंडिका 70 में निम्नानुसार कहा:

“जहां तक किसी प्रकरण में अन्वेषण करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करने का प्रश्न है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, परन्तु बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम, सावधानी के साथ और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय तथा मौलिक अधिकार लागू करने के लिए ऐसा आदेश

आवश्यक हो सकता है"

14. अन्वेषण के किसी भी स्तर पर आगे के अन्वेषण के निर्देश देने की इस न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक हैं। यह तब भी किया जा सकता है जब अभियोजन अभिकरण द्वारा आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका हो। भारती तमांग बनाम भारत संघ (2013) 15 एस. सी. सी. 578 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने स्वर्गीय मदन तमांग, जो एक राजनीतिक संघर्ष के दौरान मारा गया था, की विधवा द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार करते हुए सी. बी. आई. द्वारा अन्वेषण जिसकी निगरानी संयुक्त निदेशक, सी.बी.आई. द्वारा की जाएगी, का निर्देश दिया। कंडिका 44 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई :

"44. चाहे वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हो या व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण या किसी अन्य उद्देश्य से, यदि एक हत्या होती है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और प्रदर्शित करेगी कि दोषियों को गिरफ्तार कर कर उन्हें अभियोजन के दण्डिक विधि के प्रावधानों के तहत विचारण के लिए लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उस प्रक्रिया में दिखाई देने वाली कोई भी शिथिलता जनता के हित में नहीं होगी अतः, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बताया गया है, जिनका हमने पहले के कण्डिकाओं में उल्लेख किया है, हम पाते हैं कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि अभियोजन अभिकरण को उसके कार्यों के प्रभावी ढंग से और कुशलता से उन्मुक्त करने की अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के बारे में याद दिलाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपराधिक अभियोजन प्रभावी ढंग से चलाया जाए और अपराध के अपराधियों को उचित न्यायालय द्वारा विधिवत दंडित किया जाए।"

15. इस न्यायालय ने सामान्य नागरिकों द्वारा उसके समक्ष लाई गई वास्तविक

शिकायतों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता के बारे में अपने मजबूत विचार व्यक्त किए हैं, जैसा कि ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) 4 एस.सी.सी. 158 में अभिनिर्धारित किया गया है।

16. यह गौर किए जाने योग्य है कि अनसुलझे अपराध उन संस्थानों में जनता के भरोसे को कम करते हैं जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। दाण्डिक अन्वेषण निष्पक्ष और प्रभावी दोनों होनी चाहिए। हम अन्वेषण की निष्पक्षता, जो हमें दिखाई देती है, के विषय में कुछ नहीं कहते हैं परन्तु तथ्य यह है कि यह स्वयमेव स्पष्ट है कि यह अप्रभावी रहा है। मणिपुर में दूर रहने वाले मृतका के रिश्तेदारों के पास दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क करने में एक वास्तविक लॉजिस्टिक समस्या है, फिर भी उनकी आशा जीवित है, और उन्होंने इस प्रणाली में भरोसा और विश्वास जताया है। अतः हमारा विचार है कि इस प्रकरण को सी. बी. आई. को सौंपने की आवश्यकता है, ताकि उचित अन्वेषण हो सके और अपीलार्थियों के मन के किसी भी संदेह को दूर किया जा सके और वास्तविक दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके।

17. ऊपर की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलार्थियों की अन्वेषण को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की प्रार्थना को खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय का 18.05.2018 दिनांकित आदेश को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। एतद्वारा अपील स्वीकार की जाती है और हम निर्देश देते हैं किसी. बी. आई. मामले की जांच करे। यह प्रकरण एस. आई. टी. से सी. बी. आई. को अंतरित की जाएगी। एस.आई.टी., जिसने अब तक इस मामले में अन्वेषण की है, वह समस्त सुसंगत कागजात और दस्तावेज अन्वेषण के लिए सी.बी.आई. को सौंप देगी। गहन अन्वेषण के बाद, सी. बी. आई. अपनी पूर्ण अन्वेषण रिपोर्ट या अभियोग पत्र जितनी जल्दी हो सके संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।”

14. यह सच है कि सी. बी. आई. को अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और इस तरह के आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किए जाने चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, पीड़ित पक्ष ने छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस मशीनरी पर पक्षपात और अनुचित प्रभाव के आरोप लगाए हैं। इस तथ्य के साथ कि पूरी घटना के बारे में और विशेष रूप से मृत्यु

पूर्व की चोटों के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन, निष्पक्ष और स्वतंत्र अन्वेषण की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि वर्तमान प्रकरण में ऐसा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

15. हम तदनुसार इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं तथा आगे सी.बी.आई.- उत्तरवादी सं. 8. को घटना की पूर्ण और निष्पक्ष अन्वेषण करने तथा विधि के अनुसार आगे बढ़ने और इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और वह भी जल्दी क्योंकि घटना 2016 की है - यदि सी. बी. आई. को लगता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, तो वह स्वयं ही ऐसा कर, आगे की कार्यवाही कर ऐसी शिकायत को एक युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुँचा सकता है- यद्यपि यदि सी. बी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वह ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सकी जो सामान्य क्रम में आरोप- पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त हो, तो वह कार्यवाही समाप्त कर दे। छत्तीसगढ़ राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह अन्वेषण करने में सी. बी. आई. को हर संभव सहयोग करे और सी. बी. आई. को सभी आवश्यक कागजात और अन्य रणनीतिक सहायता प्रदान करे, जिसकी आवश्यकता हो।

16. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने गुण-दोष के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यद्यपि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई कोई भी टिप्पणी सी. बी. आई. द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण को प्रभावित नहीं करेगी। अपील तदनुसार स्वीकृत की जाती है।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत ।

शीर्ष टिप्पण (हेड नोट) निधि जैन द्वारा तैयार किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।